न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 09/2020 दायर दिनांकः 02/08/2020

उनवान

1. जितेन्द्र सिंह हाडा आयु 41 वर्ष पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी पशु चिकित्सालय के पास वार्ड नं0 12 अटरू तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव।

आदेश दिनाकः 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का कुल किता 19 का रकबा 31.83 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/12 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 44 का कुल किता 4 का रकबा 1.13 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 138 का कुल किता 2 का रकबा 0.04 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 124 का कुल किता 4 का रकबा 2.50 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 123 का कुल किता 9 का रकबा 6.95 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें दौराने सेटलमेन्ट आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी का नाम तेजवीरसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र सिंह हाडा पुत्र राजेन्द्र सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी पशु चिकित्सालय के

पास वार्ड नं0 12 अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 है। चूकि प्रार्थी का पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड बैंक डायरी व अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह दर्ज है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी पशु चिकित्सालय के पास वार्ड नं0 12 अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 है प्रार्थी का गलत नाम तेजवीर सिंह दर्ज करने की त्रुटि आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने दौराने सेटलमेन्ट की है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वाके ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का कुल किता 19 का रकबा 31.83 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/12 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 44 का कुल किता 4 का रकबा 1.13 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 138 का कुल किता 2 का रकबा 0.04 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 124 का कुल किता 4 का रकबा 2.50 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 123 का कुल किता 9 का रकबा 6.95 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करवाकर प्रार्थी का नाम जितेन्द्र सिंह हाडा पुत्र राजेन्द्र सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी पशु चिकित्सालय के पास वार्ड नं0 12 अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा किये गये गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम तेजवीर सिंह दर्ज कर देने से प्रार्थी को काफी पेरशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से ऋण आदि प्राप्त नही कर पा रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थी का नाम जितेन्द्र सिंह के स्थान पर तेजवीर सिंह अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा दर्ज किया है। इस कारण माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम एवं माल गोरडीजागीर के खाता संख्या 43 का कुल किता 19 का रकबा 31.83 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/12 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 44 का कुल किता 4 का रकबा 1.13 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 138 का कुल किता 2 का रकबा 0.04 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 124 का कुल किता 4 का रकबा 2.50 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। व ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 123 का कुल किता 9 का रकबा 6.95 है0 भूमि में से प्रार्थी के 1/36 संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही है। ग्राम गोरडीजागीर में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी पशु चिकित्सालय के पास वार्ड नं0 12 अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw 3** के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम तेजवीरसिंह को दुरस्त करवाकर प्रार्थी का नाम जितेन्द्र सिंह हाडा पुत्र राजेन्द्र सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी पशु चिकित्सालय के पास वार्ड नं0 12 अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–76 ग्राम गोरडीजागीर के खाता संख्या 43 किता 19 की 31.83 है0, खाता संख्या 44 किता 4 की 1.13 है0, खाता संख्या 138 किता 2 की 0.04 है0, खाता संख्या 124 किता 4 की 2.5 है0, खाता संख्या 123 किता 9 की 6.95 है0 में तेजवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह का नाम शामलाती खाता दर्ज रिकार्ड है।

अन्य रिकार्ड आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र सिंह हाडा पुत्र राजेन्द्र सिंह हाडा दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह दर्ज है। भामाशाह कार्ड में जितेन्द्र सिंह हाडा दर्ज है। राशन कार्ड में जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिह दर्ज है। आयकर विभाग का पेन कार्ड व बैंक डायरी बैंक ऑफ बडौदा अटरू में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र सिंह हाडा पुत्र राजेन्द्र सिंह दर्ज है, साक्ष्य में भी सहखातेदार द्वारा सही नाम जितेन्द्र सिंह है जो सही किया जावे।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोरडीजागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 43 का कुल किता 19 का रकबा 31.83, खाता संख्या 44 का कुल किता 4 का रकबा 1.13 है0, खाता संख्या 138 का कुल किता 2 का रकबा 0.04 है0, खाता संख्या 124 का कुल किता 4 का रकबा 2.50 है0, खाता संख्या 123 का कुल किता 9 का रकबा 6.95 है0 में सहखातेदार तेजवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह के स्थान पर जितेन्द्र सिंह उर्फ तेजवीर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां